छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 223 प्रकरण क्रमांक –**SM-URP-2024-02358**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग–2, पता–शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/05/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, द्वारा–कार्यपालन अभियंता, पता–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग–2, शंकर नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) खसरा नं.–39 एवं अन्य खसरा नंबर, कुल रकबा–0.312 हेक्टेयर के भूखण्ड को विकसित किये जाने हेतु विकास अनुज्ञा क्रमांक–12054 प्राप्त की गई है। प्राधिकरण के समक्ष उक्त परियोजना का पंजीयन हेतु कोई आवेदन अनावेदक/प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 05.03.2024 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा धारा–3 के अधीन प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन नहीं करवाकर अधिनियम की धारा–59 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जो कि दण्डनीय है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 19.04.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का छ.ग. रेरा में दिनाँक 29.08.2018 को पंजीकृत किया जा चुका है, जिसका पंजीयन क्रमांक–PCGRERA290818000731 है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	